

न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजाखेडा (धौलपुर)

क्रमांक/कोर्ट/2023/३९५
तहसीलदार
राजाखेडा

दिनांक - 6/6/23

विषय:- व मु० उनवानी रामू बनाम सूबे वगै०
में लगे स्थगन आदेश को हटवाये जाने बाबत।

प्रार्थना पत्र 212 आर०टी०एक्ट०

उक्त उनवानी प्रकरण में विवादित आराजी ख०नं० 490, 620, 430, 432 स्थित ग्राम जारह तहसील राजाखेडा पर इस न्यायालय के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2018/576 दिनांक 31.08.2018 के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था। इस प्रकरण को लोक अदालत की भावना से वादी के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 06.06.2023 को राजीनामा से मूल दावा खारिज किया जा चुका है। अतः उपरोक्त विवादित आराजी पर लगे स्थगन आदेश को हटाये जाने का श्रम करें। यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो पत्र की पालना की जावे। पालना रिपोर्ट न्यायालय में अन्दर सात दिवस में प्रस्तुत करें।

यह परवाना मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी किया गया ।


उपखण्डाधिकारी
राजाखेडा